(भारत के राजपा के भाग-। खंड-। माकाशनाथा।

भारत सरकार व□□ मं□ालय

<u>अप्धसूचना</u>

उ□योग भवन, नई ।द्र□ल□

द्धनांक: 14 द्धसम्बर, **201**8

ष्त्रषयः पारधान एवं ।जटावयर ।जयात्त हकदारः। (कोटा) नी।तयः। के अवाशाः।ट ।।वधानः। के । चालन को । जनवरः। 2019 से आगे बढ़ाया जाना ।

सं. 1/61/2004-जियात-। (1) - सरकार □वारा पारधान एवं जिटा व्रया जिटा किदारा (कोटा) नी कि अवाशाप्ट □ावधाना के □चालन को दिनांक 9 नवंबर, 2004 का आधसूचना सं.1/61/2004-जियात-। के तहत ारंभ मा। जनवरा 2005 से एक वषाके जिए लागू करने का जिएा विया गया था तथा उ।हा समय-समय पर बढ़ाया गया था । इन □ावधाना को 31 दिसाबर 2018 तक बढ़ाया गया है।

- 2. सरकार ने एतद□वारा पारधान एवं ानटावयर ानयात हकदारा (कोटा) नीात के अवाशााट ावधाना के □चालन को 1 जनवरा 2019 से एक और वषाके ालए बढ़ाने का ानणश ालया है।
- 3. व्हिनांक 9 नव□बर 2004 क□ आधसूचना के पैरा 1 म□उिचलाखत अ□य सभी व्नबंधन एवं शत□ अपारवासस रहांगी।

(आर.के.प्संह) अवर साधव, भारत सरकार दूरभाष:23062341 ई-मेल:teptj2@nic.in

सेवा म🏻

□बंधक, भारत सरकार मु□णालय, फरादाबाद, हारयाणा

(भारत के राजप□ के भाग-। खंड-। मШकाशनाथ)।

भारत सरकार व□□ मं□ालय

<u>अध्यसूचना</u>

उ□योग भवन, नई ।द्र□ल□

द्धनांक: 14 द्धसम्बर, **201**8

खषय: यान्। फै⊞ास और मेड-अ⊪स ानयात हकदारा (कोटा) नी।तया के अवाशाट ावधाना के □चालन को 1 जनवरा 2019 से आगे बढ़ाया जाना ।

सं. 1/61/2004-क्रियात्त-। (2) - सरकार विवास यान् के क्षिण्यस और मेड-अध्स क्ष्म्यात्त हकदार (कोटा) नीक्ष्म के अविद्याद्य विविधान के विचालन को द्धनांक 9 नवंबर, 2004 का अध्यसूचना सं.1/61/2004-क्ष्म्यात्त-। के तहत वारंभ मा 1 जनवर 2005 से एक वष्यके क्ष्मण्य क्ष्म्या था तथा उव्हासमय-समय पर बढ़ाया गया था । इन विधान को 31 द्धसाबर 2018 तक बढ़ाया गया है।

- 2. सरकार ने एतद□वारा याना फैं⊞ास और मेड-अ⊔स मियाप्त हकदारा (कोटा) नीप्त के अवाशायट □ावधाना के □चालन को 1 जनवरा 2019 से एक और वषाके प्लिए बढ़ाने का मिणा प्राप्त है।
- 3. व्हिनांक 9 नव□बर 2004 क□ आधसूचना के पैरा 1 म□उिचलाखत अ□य सभी व्नबंधन एवं शत□ अपारवासस रहांगी।

(आर.के.ासंह) अवर साघव, भारत सरकार दूरभाष:23062341 ई-मेल:teptj2@nic.in

सेवा म🏻

□बंधक, भारत सरकार मु□णालय, फरादाबाद, हारयाणा